

आवश्यक जानकारी - इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को " राष्ट्रीय पशुपालन उद्यमिता विकास मिशन परियोजना" के तहत विभिन्न नस्ल के पशुओं की पहचान, दुग्ध गुणवत्ता की जाँच करना, दुग्ध के नमूने इक्कठे करना, आधुनिक तकनीक से स्टेरलाइज्ड टॉड एवं डबल टॉड दूध तैयार व पैकिंग करना, बटर, घी व अन्य डेयरी उत्पाद तैयार करना, डेयरी के लिये फीड व चारा तैयार करना, पशु आवास प्रबंधन, पशुओं को नियंत्रित करने के तरीके, पशु स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन, पशु आवास बनावट, पशु पोषण, नस्ल सुधार एवं प्रजनन रोग निदान, डेयरी फॉर्म व्यवसाय योजना, बीमारियों की रोकथाम व प्राथमिक उपचार आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

नोट : - प्रशिक्षण के पश्चात् नियमानुसार व लक्ष्यानुसार कार्य करने पर निगम की ओर से 25000/- रु. प्रतिमाह रोजगार सहायता उपलब्ध होगी इसके अन्तर्गत "पशुपालक उन्नति केंद्र" पर नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार न्यूनतम एक वर्ष तक कार्य करने पर प्रशिक्षण हेतु जमा प्रशिक्षण फीस 60,000/- रु. की वापसी निगम द्वारा की जायेगी । प्रशिक्षण फीस शुल्क वापसी चाहने हेतु संलग्न प्रशिक्षण फीस शुल्क वापसी का आवेदन भी प्रस्तुत करें ।

नोट :- निगम के अन्य समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी और मत्स्य विभाग, भारत सरकार की परियोजना "राष्ट्रीय गोकुल मिशन" के तहत पंचायत स्तर पर AI WORKER (कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) में भी नियुक्त किये गये हैं ।

1. कार्य दायित्व :-

1. निगम में डिप्लोमा इन डेयरी मैनेजमेंट (DDM) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निगम द्वारा संचालित पशुपालक उन्नति केंद्र में डेयरी फील्ड असिस्टेंट पर कार्य करना होगा ।
2. निगम द्वारा संचालित पशुपालक उन्नति केंद्र पर पशु पोषण एवं स्वास्थ्य पंजिका से प्रतिदिन 5 पशुपालकों को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है ।
3. पशुपालक उन्नति केंद्र के माध्यम से निगम के कार्ड धारी पशुपालकों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार सेवायें प्रदान करना ।
4. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिमाह सशुल्क 30 प्राथमिक पशु उपचार के कार्य को करना है ।
5. डेयरी फील्ड असिस्टेंट का मासिक लक्ष्य संलग्न घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 4 में वर्णित है ।

2. मासिक वेतन व अन्य लाभ :-

1. आपकी ग्राम पंचायत में संचालित पशुपालक उन्नति केंद्र का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा ।
2. निगम के कार्य दायित्व के अनुसार कार्य करने पर प्रति माह पच्चीस हजार 25000/- रुपये मासिक प्राप्त होगा ।
3. पशुपालक उन्नति केंद्र में प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य पर प्राप्त किये गये अधिक लक्ष्य का 10% लाभांश अतिरिक्त देय होगा ।

3. निगम पशु पोषण एवं स्वास्थ्य पंजिका से पशुपालकों को लाभ :-

1. निगम की पशु पोषण एवं स्वास्थ्य पंजिका पशु के समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी हेतु प्रदान की गई है ।
2. पंजिका धारक द्वारा नियमानुसार छः माह तक पंजीयन पुस्तिका के आधार पर स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम 925/- रुपये खरीदने पर अगले छः माह तक पशु स्वास्थ्य जाँच व परामर्श निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा ।
3. प्रत्येक पंजीयन के साथ पशुपालक को एक लाख रुपये का सरकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक वर्ष के लिये निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा ।
4. पंजिका धारक द्वारा नियमानुसार पंजीयन पुस्तिका के आधार पर लगातार 10 माह तक पशुपालक उन्नति केंद्र का लाभ लेने पर अगले दो माह में पशु स्वास्थ्य जाँच एवं पशु पोषण हेतु अधिकतम 1850/- रुपये स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम निगम द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा ।
5. **डेयरी फील्ड असिस्टेंट** द्वारा जारी की जाने वाली पशुपालकों की सूची में से राज्य स्तरीय सम्मान हेतु 3 पशुपालक चुने जायेगे जिन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रखते हुये क्रमशः 11000 रुपये, 5100 रुपये तथा 2100 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप प्रदान किये जायेगे ।

घोषणा पत्र

मैं जानता हूँ कि उक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रवेश सुरक्षित करने हेतु जमा किया गया है जो वापसी देय नहीं है ।
प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व ही प्रशिक्षण छोड़ने पर जमा राशि वापस देय नहीं है । और रोजगार भी नहीं दिया जायेगा ।
मैं उपरोक्त आवेदक घोषणा करता / करती हूँ कि चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता / करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है ।
मैं जानता हूँ कि उक्त प्रशिक्षण स्वरोजगार के लिये भी मान्य है । प्रशिक्षण पश्चात् मैं स्वरोजगार भी कर सकता हूँ ।
मैं इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के **नियमों** का उल्लंघन नहीं करूँगा / करूँगी तथा उपरोक्त पर कोई विवाद नहीं करूँगा / करूँगी ।
मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त श्रेणी जिस हेतु मैंने आवेदन किया है कि मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी, नियम एवं शर्तें मेरे द्वारा भलीभांति पढ़ एवं समझ ली गई है ।
मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही व सत्य है । मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । मुझे जानकारी है कि निगम निजी क्षेत्र की कम्पनी है ।
मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है । यह मैंने किसी बाहरी दबाव में , जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है । समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र उत्तर, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर (राजस्थान) ही होगा ।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

(प्रशिक्षणार्थी के द्वारा 100 रुपये गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... यह घोषणा करता / करती हूँ कि

प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी :-

1. पाठ्यक्रम एवं शुल्क का विवरण इस प्रकार है |

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	पद का नाम	अवधि	शैक्षिक योग्यता	आयु सीमा (वर्ष में)	रजि. शुल्क	कुल शुल्क
डिप्लोमा इन डेयरी मैनेजमेंट (DDM)	डेयरी फील्ड असिस्टेंट	1 वर्ष	12th	18-40	3000/-	63000/-

रजिस्ट्रेशन शुल्क :- 3000/- , कक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशिक्षण फीस प्रथम किस्त :- 25000/- , प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के तीन माह बाद प्रशिक्षण फीस द्वितीय किस्त :- 20000/- , द्वितीय किस्त के तीन माह बाद प्रशिक्षण फीस की तृतीय किस्त :- 15000/- , उक्त जमा रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रशिक्षण फीस में शामिल नहीं है |
परीक्षा शुल्क प्रतिसेमेस्टर 1000/- रुपये अतिरिक्त देय है |

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन पुस्तकें) निःशुल्क प्रदान की जायेगी |

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार के "राजस्थान आई. एल. डी. कौशल विश्विद्यालय" द्वारा अधिकृत है | प्रशिक्षण के पश्चात् सफल प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा |

2. आवेदन से प्रशिक्षण प्रारम्भ होने तक के कार्यक्रम की संभावित अवधि

आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि - प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार होगी
प्रशिक्षण के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच - अंतिम तिथि से 15 दिन तक
प्रशिक्षण के लिये चयन व प्रशिक्षण की प्रथम किस्त जमा सूचना - आवेदन जाँच से अगले 20 दिन में
काउंसलिंग - किस्त जमा से अगले 10 दिन में
प्रशिक्षण प्रारम्भ - काउंसलिंग से अगले 10 दिन में

नोट :- उक्त कार्यक्रम में फेर - बदल संभव है |

3. मैं यह जानता / जानती हूँ कि

- पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने पर आवेदक को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा |
- आवेदन पत्र जमा करवाने एवं प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से लेकर प्रशिक्षण पूर्ण होने तक यदि कोई आवेदक आवेदन वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क वापस देय नहीं है तथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा |

3. जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के लिये बैच की संख्या न्यूनतम 30 प्रशिक्षणार्थी निर्धारित है। जिले पर यह संख्या नहीं होने पर नजदीकी जिले या राजस्थान में जयपुर जिला में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा। प्रशिक्षण के दौरान आवासीय व खाने का खर्चा प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
4. चयनित प्रशिक्षणार्थी जिसके द्वारा निगम से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
5. चयन के पश्चात प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को अयोग्य मान आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व में जमा रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. किसी कारणवश प्रथम किस्त जमा होने के पश्चात प्रशिक्षण बीच में छोड़ने पर जमा प्रशिक्षण शुल्क राशि वापस देय नहीं है।
7. आवेदक द्वारा ऑनलाइन / ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया जाता है और आवेदन पत्र नहीं भेजा जाता है तो भी यह मानते हुए की वह सभी नियम एवं शर्तों से परिचित है। प्रशिक्षण हेतु बुलावा भेजा जाएगा उसकी अनुपस्थिति होने पर उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क वापसी देय नहीं होगा।

4. कार्य दायित्व :-

मैं यह जानता /ती हूँ की

1. निगम में डिप्लोमा इन डेयरी मैनेजमेंट (DDM) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निगम द्वारा संचालित पशुपालक उन्नति केंद्र पर डेयरी फील्ड असिस्टेंट के रूप कार्य करना होगा।
2. निगम द्वारा संचालित पशुपालक उन्नति केंद्र पर मेरे द्वारा पशु पोषण एवं स्वास्थ्य पंजिका से प्रतिदिन 5 पशुपालकों को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
3. पशुपालक उन्नति केंद्र के माध्यम से निगम के कार्ड धारी पशुपालको को निःशुल्क प्राथमिक उपचार सेवार्यें प्रदान करना।
4. मुझे ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिमाह सशुल्क 30 प्राथमिक पशु उपचार के कार्य को करना है।
5. मेरे द्वारा 1 वर्ष तक निगम के पशुपालक उन्नति केंद्र पर लक्ष्य अनुसार कार्य करने पर निगम द्वारा निम्न योजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे अतिरिक्त आय अर्जित होगी
 - पशुपालक उन्नति केंद्र पर दूध धारा केंद्र की स्थापना जिसके माध्यम से दूध व अन्य डेयरी उत्पादों की बिक्री करना।
 - उच्च कोटि के खाद व बीज की बिक्री करना।
 - निगम के द्वारा निर्मित पशुओं के स्वास्थ्य पोषण से संबंधित अन्य उत्पादों की बिक्री करना।
 - नवीनतम चारा प्रबंधन तकनीकी बारे में किसानों एवं पशुपालकों को अवगत कराना।
 - केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराना तथा लाभ प्राप्त करने में मदद करना।
 - पशु पालकों को पशुओं की मौसमी बीमारियों से अवगत कराना तथा उपचार पहुंचाने में सहायता करना।

5. मासिक वेतन व अन्य लाभ:-

मैं यह जानता /ती हूँ की

- ग्राम पंचायत में संचालित पशुपालक उन्नति केंद्र का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा |
- निगम के कार्य दायित्व के अनुसार कार्य करने पर प्रति माह पच्चीस हजार 25000/- रुपये मासिक प्राप्त होगा|
- पशुपालक उन्नति केंद्र में प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य पर प्राप्त किये गये अधिक लक्ष्य का 10% लाभांश अतिरिक्त देय होगा |
- कक्षाएं प्रारम्भ होने व प्रथम किस्त जमा कराने पश्चात् प्रशिक्षणार्थी को एक साल के लिए 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का निःशुल्क दुर्घटना बीमा जारी होगा |
- निर्धारित लक्ष्य लगातार एक वर्ष तक पूर्ण करने पर निगम की ओर से नियमानुसार एक मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी |

6. निगम की पशु पोषण एवं स्वास्थ्य पंजिका से पशुपालकों को लाभ :-

मैं यह जानता /ती हूँ कि निगम की पशु पोषण एवं स्वास्थ्य पंजिका से पशुपालकों को निम्न लाभ होंगे :-

- निगम की पशु पोषण एवं स्वास्थ्य पंजिका पशु के समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी हेतु प्रदान की गई है |
- पंजिका धारक द्वारा नियमानुसार छः माह तक पंजीयन पुस्तिका के आधार पर स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम 925/- रुपये खरीदने पर अगले छः माह तक पशु स्वास्थ्य जाँच व परामर्श निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा|
- प्रत्येक पंजीयन के साथ पशुपालक को एक लाख रुपये का सरकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक वर्ष के लिये निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा |
- पंजिका धारक द्वारा नियमानुसार पंजीयन पुस्तिका के आधार पर लगातार 10 माह पशु सेवा केंद्र का लाभ लेने पर अगले दो माह में पशु स्वास्थ्य जाँच एवं पशु पोषण हेतु अधिकतम 1850/- रुपये की स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम निगम द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा |
- डेयरी फील्ड असिस्टेंट प्रशिक्षणार्थी द्वारा जारी की जाने वाली पशुपालकों की सूची में से राज्य स्तरीय सम्मान हेतु 3 पशुपालक चुने जायेगे जिन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रखते हुये क्रमशः 11000 रुपये, 5100 रुपये तथा 2100 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप प्रदान किये जायेगे |

7. प्रशिक्षण फीस :-

मैं यह जानता /ती हूँ कि निगम में प्रशिक्षण के लिए मुझे प्रशिक्षण फीस जरिये चालान (60,000/-) ही जमा करवाना है अथवा बैंक गारंटी देनी होगी |

8. प्रशिक्षण फीस वापसी नियम :-

1. प्रशिक्षण में प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु आवेदन पत्र 100/- रु के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर जमा करें |
2. घोषणा पत्र में दिए गए नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार पशुपालक उन्नति केंद्र पर एक वर्ष कार्य करने पर प्रशिक्षण शुल्क राशि लौटायी जायेगी | उस प्रशिक्षण शुल्क राशि में रजिस्ट्रेशन शुल्क व परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है |
3. निगम में नियुक्ति नहीं चाहकर केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने के एवज में प्रशिक्षण शुल्क राशि नहीं लौटायी जायेगी

में अच्छी तरह से जान गया हूँ / यी हूँ कि

- रजिस्ट्रेशन शुल्क 3000 /- रु जमा कराने के बाद यदि मैं अपना प्रशिक्षण हेतु चयन रद्द करवाता हूँ तो यह राशि वापसी देय नहीं है |
- प्रशिक्षण फीस जमा कर देने के बाद प्रशिक्षण में अनुपस्थित रह कर यदि मैं अपना प्रशिक्षण रद्द करवाता हूँ तो जमा प्रशिक्षण फीस में से पचास (50) प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि वापसी दी जायेगी तत्पश्चात चयन रद्द हो जायेगा |
- अगर मेरे उपस्थित होने और प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के प्रथम माह में मैं अपना चयन रद्द करने का आवेदन करता हूँ तो निगम जमा प्रशिक्षण फीस को जब्त कर लेगा |
- यदि मैं दो माह पश्चात् प्रशिक्षण छोड़ता हूँ / ती हूँ तो सम्पूर्ण प्रशिक्षण फीस पूरी तरह से जब्त कर ली जायेगी |

9. चयन का आधार : -

आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् कागजात एवं अनुभव के आधार पर चयनित करने की सूचना आपकी मेल आई- डी एवं डाक द्वारा आपके पते पर भेज दी जायेगी | सूचना प्राप्ति के पश्चात् दिये गए समय में जयपुर, राजस्थान कार्यालय में प्रशिक्षण फीस बैंक चालान/ ऑनलाइन के माध्यम से जमा करानी होगी जो उपरोक्त नियमानुसार वापसी योग्य है |



घोषणा पत्र

मैं जानता हूँ कि उक्त आवेदन शुल्क वापसी देय नहीं है ।

मैं उपरोक्त आवेदक घोषणा करता / करती हूँ कि चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता / करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है ।

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त पद जिस हेतु मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी , नियम एवं शर्तें मेरे द्वारा भलीभांति पढ़ एवं समझ ली गई है ।

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही व सत्य है । मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है । मुझे जानकारी है कि निगम निजी क्षेत्र की कम्पनी है ।

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है । यह मैंने किसी बाहरी दबाव में , जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है ।

समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) ही होगा ।

(SIGNATURE OF APPLICANT)

आवेदक के हस्ताक्षर

आवश्यक सूचनायें

ऑनलाइन आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जाने योग्य दस्तावेज़:-

1. दसवीं व बारहवीं कक्षा की अंकतालिका / प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें |
2. पंजीयन शुल्क जमा रसीद की निगम प्रति संलग्न करें |
3. अपने पहचान पत्र/ मूल निवास/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें |
4. घोषणा पत्र व प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु प्रार्थना पत्र 100/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर संलग्न करें |

आवेदन भेजने का तरीका :- ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन पत्र को ऊपर लिखे हुये दस्तावेजों सहित लिफाफे में डालकर नीचे दिये पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाये |

आवेदन प्रार्थना पत्र भेजने का पता

भर्ती पूर्व प्रशिक्षण हेतु

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, ए सी 4, गायत्री सदन,

जिला परिषद् के सामने, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान पिन - 302016

सामान्य जानकारी :-

1. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है | भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार के "राजस्थान आई. एल. डी. कौशल विश्विद्यालय" द्वारा अधिकृत है |
2. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड डेयरी फील्ड असिस्टेंट जॉब रोल हेतु चयनित आवेदकों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करेगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् प्रमाण पत्र दिया जाएगा | प्रशिक्षण में नस्ल के पशुओं की पहचान, दुग्ध गुणवत्ता की जाँच करना, दुग्ध के नमूने इक्कठे करना, आधुनिक तकनीक से स्टेरलाइज्ड टॉड एवं डबल टॉड दूध तैयार व पैकिंग करना, बटर, घी व अन्य डेयरी उत्पाद तैयार करना, डेयरी के लिये फीड व चारा तैयार करना, पशु आवास प्रबंधन, पशुओं को नियंत्रित करने के तरीके, पशु स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन, पशु आवास बनावट, पशु पोषण, नस्ल सुधार एवं प्रजनन रोग निदान, डेयरी फॉर्म व्यवसाय योजना, बीमारियों की रोकथाम व प्राथमिक उपचार आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा |
3. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा डेयरी फील्ड असिस्टेंट प्रशिक्षण के पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा |
4. निगम की वेबसाइट www.bharatiyapashupalan.com पर दी गई, जानकारी को ही अधिकृत समझे, अन्य किसी भी वेबसाइट या माध्यम के जरिये किये गए व्यवहार के प्रति निगम जिम्मेदार नहीं है | एवं आवेदन सम्बंधित किसी भी सहायता के लिए निगम की हेल्पलाइन - 9351899199 पर संपर्क करे |

5. प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी अधिकार निगम के पास सुरक्षित है | इस हेतु आवेदनकर्ता का कोई भी ऐतराज मान्य नहीं है |
6. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन \ नियम एवं शर्तों को डाउनलोड कर सभी जानकारियों को आवश्यक रूप से पढ़ें।
7. निगम द्वारा आवेदक को प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी सूचनाएं व जानकारी केवल ईमेल के माध्यम से दी जाएगी, अतः आवेदक द्वारा स्वयं की सही ईमेल आईडी लिखी जानी आवश्यक है।

निगम के पशुपालक उन्नति केंद्र में चयन एवं नियुक्ति का आधार :-

1. जिला स्तर पर प्रथम चरण में न्यूनतम 60 पशुपालक उन्नति केंद्र तथा अधिकतम 100 केंद्र ग्राम पंचायत वार खोले जाने हैं इस हेतु ग्रामीण पृष्ठ भूमि के स्थानीय निवासी को वरियता दी जायेगी और उसी क्षेत्र में ही " पशुपालक उन्नति केंद्र" खोला जाएगा |
2. उक्त आवेदन प्रार्थन पत्र मय रजिस्ट्रेशन शुल्क के प्राप्त होने के पश्चात् निगम में चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण फीस प्रशिक्षण प्रारम्भ होने पर नियमानुसार जमा करानी होगी |

चयन की सूचना :-

1. आवेदन पत्र प्राप्त के पश्चात आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दसवीं व बारहवीं कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर चयन की सूचना आवेदक की रजिस्टर्ड मेल आई डी पर भेज दी जायेगी।
2. चयनित आवेदक को प्रशिक्षण में चयन की सूचना के साथ प्रशिक्षण फीस की प्रथम किस्त जमा करवाने बाबत सूचना ईमेल के माध्यम से दी जायेगी।
3. प्रशिक्षण फीस की प्रथम किस्त ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से जमा करानी होगी तथा निगम की प्रति निगम के जयपुर कार्यालय में डाक द्वारा भेजनी होगी।
4. प्रशिक्षण की प्रथम किस्त जमा कर निगम की प्रति डाक द्वारा भेजने के पश्चात् आवेदक को काउंसलिंग की सूचना ई मेल / डाक के माध्यम से भेजी जायेगी |
5. आवेदक द्वारा प्रशिक्षण की प्रथम किस्त जमा नहीं करवाने पर डिप्लोमा इन डेयरी मैनेजमेंट DDM प्रशिक्षण व डेयरी फील्ड असिस्टेंट के लिये आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा व रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लौटाया जायेगा |



(100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित)

निःशुल्क प्रशिक्षण के नियमानुसार एक वर्ष कार्य के पश्चात् सुरक्षा / प्रशिक्षण शुल्क राशि वापसी चाहने हेतु

प्रार्थना पत्र

सेवा में,

निदेशक

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड,

जयपुर,

मैं.....पुत्र / पुत्री /पत्नि श्रीनिवासी.....
.....तहसील.....जिला..... राज्य का
रहने वाला / वाली हूँ ।

मैं वचन देता हूँ कि निगम के घोषणा पत्र में दिये नियमानुसार एवं लक्ष्यानुसार “पशुपालक उन्नति केंद्र” पर प्रतिमाह कार्य करूँगा / करूँगी । कृपया मेरे द्वारा दी गई प्रशिक्षण शुल्क राशि को नियमानुसार एक वर्ष का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर लौटाने की कृपा करे ।

नोट :- निगम में नियुक्ति नहीं चाहकर केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने के एवज में प्रशिक्षण शुल्क राशि नहीं लौटाया लौटायी जायेगी ।

धन्यवाद

आवेदक हस्ताक्षर

नाम.....

पिता / पति का नाम.....

पूरा पता.....